

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज
(स्थापना-शाखा)

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2014-15 हेतु विकलांग आरक्षण

संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार पटना के अधिसूचना ज्ञापांक 1769 दिनांक 24.11.14 के निमित्त बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 के कांडिका 08 एवं 09 में उल्लेखित विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 3 प्रतिशत यथा दृष्टि बाधित-1 प्रतिशत, श्रवण बाधित-1 प्रतिशत एवं अस्थिजन्य -1 प्रतिशत पदों पर विकलांग उम्मीदवारों को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली/अधिसूचना/आदेश के अनुसार नियोजन करने का निदेश है। उक्त निदेशालोक में किशनगंज जिला अंतर्गत बेसिक ग्रेड अन्य संवर्ग, बेसिक ग्रेड उर्दू संवर्ग, बेसिक ग्रेड बंगला संवर्ग एवं स्नातक ग्रेड के विषयवार संशोधित आवंटित रिक्ति में से निम्नवत् नियोजन इकाईवार विकलांग अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किया जाता है -

क्र०	नियोजन इकाई का नाम	बेसिक ग्रेड अन्य संवर्ग हेतु आरक्षित पद	बेसिक ग्रेड उर्दू संवर्ग हेतु आरक्षित पद	बेसिक ग्रेड बंगला संवर्ग हेतु आरक्षित पद	स्नातक ग्रेड हेतु आरक्षित पद			
					विषय-हिन्दी	विषय-उर्दू	विषय-संस्कृत	विषय-अंग्रेजी
1.	नगर परिषद, किशनगंज	दृष्टि बाधित - 01 पद	दृष्टि बाधित - 01 पद	दृष्टि बाधित - 01 पद				
2.	प्रखंड शिक्षक, किशनगंज	(1) अस्थिजन्य - 01 पद (2) श्रवण बाधित - 01 पद	श्रवण बाधित - 01 पद					
3.	प्रखंड शिक्षक, बहादुरगंज	(1) अस्थिजन्य - 02 पद (2) दृष्टि बाधित - 01 पद	अस्थिजन्य - 01 पद		दृष्टि बाधित - 01 पद		दृष्टि बाधित - 01 पद	
4.	प्रखंड शिक्षक, ठाकुरगंज	(1) दृष्टि बाधित - 02 पद (2) श्रवण बाधित - 01 पद (3) अस्थिजन्य - 01 पद	दृष्टि बाधित - 01 पद		श्रवण बाधित - 01 पद	श्रवण बाधित - 01 पद		श्रवण बाधित - 01 पद
5.	प्रखंड शिक्षक, दिघलबैंक	श्रवण बाधित - 01 पद	अस्थिजन्य - 01 पद				श्रवण बाधित - 01 पद	
6.	प्रखंड शिक्षक, टेडागाछ	(1) अस्थिजन्य - 01 पद (2) श्रवण बाधित - 01 पद						दृष्टि बाधित - 01 पद
7.	प्रखंड शिक्षक, कोचाग्राम	(1) दृष्टि बाधित - 01 पद (2) अस्थिजन्य - 01 पद	दृष्टि बाधित - 01 पद		अस्थिजन्य - 01 पद	दृष्टि बाधित - 01 पद		
8.	प्रखंड शिक्षक, पोठिया	(1) दृष्टि बाधित - 01 पद (2) श्रवण बाधित - 02 पद	श्रवण बाधित - 01 पद		दृष्टि बाधित - 01 पद			
9.	ग्राम पंचायत दौला, किशनगंज	दृष्टि बाधित - 01 पद						
10.	ग्राम पंचायत मोतीहारा तालुका किशनगंज	श्रवण बाधित - 01 पद						
11.	ग्राम पंचायत भौरादह, बहादुरगंज	अस्थिजन्य - 01 पद						
12.	ग्राम पंचायत चंदवार मिलिक, बहादुरगंज	दृष्टि बाधित - 01 पद						
13.	ग्राम पंचायत समेश्वर, बहादुरगंज	श्रवण बाधित - 01 पद	दृष्टि बाधित - 01 पद					
14.	ग्राम पंचायत अलताबाड़ी, बहादुरगंज		श्रवण बाधित - 01 पद					
15.	ग्राम पंचायत बेसरवाटी, ठाकुरगंज	अस्थिजन्य - 01 पद						
16.	ग्राम पंचायत दुधौटी, ठाकुरगंज	दृष्टि बाधित - 01 पद						
17.	ग्राम पंचायत पौआखाली, ठाकुरगंज	श्रवण बाधित - 01 पद						
18.	ग्राम पंचायत मालिनगाँव, ठाकुरगंज	अस्थिजन्य - 01 पद						
19.	ग्राम पंचायत खारुदह, ठाकुरगंज	दृष्टि बाधित - 01 पद						
20.	ग्राम पंचायत दहीमात, दिघलबैंक	श्रवण बाधित - 01 पद						
21.	ग्राम पंचायत सिंधीमारी, दिघलबैंक		श्रवण बाधित - 01 पद					

22.	ग्राम पंचायत झुनकी मुशहरा, टेढागाछ	अस्थिजन्य - 01 पद						
23.	ग्राम पंचायत झाला, टेढागाछ		अस्थिजन्य - 01 पद					
24.	ग्राम पंचायत डाकपोखर, टेढागाछ	दृष्टि बाधित - 01 पद						
25.	ग्राम पंचायत हिम्मतनगर, कोचाधामन	श्रवण बाधित - 01 पद						
26.	ग्राम पंचायत सुन्दरबाड़ी, कोचाधामन	अस्थिजन्य - 01 पद						
27.	ग्राम पंचायत पाटकोई कला कोचाधामन		दृष्टि बाधित - 01 पद					
28.	ग्राम पंचायत भगाल, कोचाधामन	दृष्टि बाधित - 01 पद						
29.	ग्राम पंचायत गोरुखाल, पोठिया	श्रवण बाधित - 01 पद						
30.	ग्राम पंचायत टिपीझाड़ी, पोठिया	अस्थिजन्य - 01 पद						
31.	ग्राम पंचायत भोटाथाना, पोठिया	दृष्टि बाधित - 01 पद						
32.	ग्राम पंचायत कोल्था, पोठिया		अस्थिजन्य - 01 पद					
33.	ग्राम पंचायत दामलबाड़ी, पोठिया	श्रवण बाधित - 01 पद						
34.	ग्राम पंचायत चुरली, ठाकुरगंज		श्रवण बाधित- 01 पद					
35.	ग्राम पंचायत भोलमारा, ठाकुरगंज		अस्थिजन्य - 01 पद					
		कुल - 38 पद	कुल - 15 पद	कुल - 01 पद	कुल - 04 पद	कुल - 02 पद	कुल - 02 पद	कुल - 02 पद

- निर्देश :- 1. बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 62 पटना, दिनांक 05.01.2007 के कंडिका 01 के द्वारा चयनित विकलांग अभ्यर्थी जिस कोटि के होंगे, उनका नियोजन उसी कोटि के विरुद्ध होगा। अर्थात आरक्षित कोटि (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अत्यंत पिछडा वर्ग, पिछडा वर्ग एवं पिछडे वर्ग की महिला) के विकलांग आरक्षित कोटि से और सामान्य वर्ग के विकलांग अनारक्षित कोटि के विरुद्ध नियोजित किये जाएंगे। अभ्यर्थी का कोटि संबंधित नियोजन इकाई में नहीं रहने पर उक्त पत्र के कंडिका 2 के आलोक में गुणानगुण (Merit) के आधार पर विकलांगों की गणना अनारक्षित कोटि के अंतर्गत की जायेगी।
2. दुविधा एवं शंका की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से सम्पर्क कर निराकरण करेंगे।

9/1/15
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(स्थापना), किशनगंज

9-1-15
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
किशनगंज

ज्ञापांक 56 किशनगंज, दिनांक 9/1/15 /

प्रतिलिपि :- किशनगंज जिला अंतर्गत सभी अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रखंड अंतर्गत सभी नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को पत्र की प्रति हस्तगत कराते हुए तामिला प्रतिवेदन पत्र निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

9-1-15
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
किशनगंज